राजभाषा सुभाषिनी

(सफलता की कहानियाँ–विशेषांक)

2020

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

एन बी सी एफ डी सी
NBCFDC

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. के उद्देश्य

एन बी.सी.एफ.डी.सी. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में भारत सरकार का उपक्रम है। इस निगम को कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के अन्तर्गत एक लाभ मुक्त कम्पनी के रूप में 13 जनवरी, 1992 को स्थापना की गई। इसका उद्देश्य संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.) सरकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दोहरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लाभ के लिए आर्थिक और विकासात्मक कार्यकलापों को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य उद्देश्यः

कम्पनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः

1. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यकलापों को बढ़ावा देना।
2. पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों की, सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित आय और/या आर्थिक मानदंडों के आधार पर आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यावहारिक योजनाओं एवं परियोजनाओं के लिए ऋणों तथा अग्रिम धनराशियों के माध्यम से सहायता करना।
3. पिछड़ी जातियों के लाभ के लिए स्वरोजगार तथा दूसरे काम के अवसरों को प्रोत्साहित करना।
4. चुने हुए मामलों में, देश में दोहरी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार द्वारा कम्पनी को अनुदत्त बजटीय सहायता की सीमा तक राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों के सहयोग से रियायती वित्त उपलब्ध कराना;
5. पिछड़ी जातियों को स्नातक एवं उच्चतर स्तरों पर सामान्य/व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण हेतु बढ़ावा देने के लिए ऋणों का विस्तार करना;
6. उत्पादन इकायों के उचित एवं कुशल प्रबंधन के लिए पिछड़ी जातियों की तकनीकी एवं उद्यमीय कुशलताओं के उत्थान में सहायता करना;
7. पिछड़ी जातियों के विकास से जुड़े राज्य स्तरीय संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर वाणिज्यिक निधि प्राप्त करने में या पुनः वित्त उपलब्ध कराकर सहायता करना;
8. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछ़डी जातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित सभी निगमों/बोर्डों के कार्य को पिछड़ी जातियों के आर्थिक विकास की सीमा तक सहयोग करने तथा इसकी देखरेख करने के रूप में कार्य करना;
9. पिछड़ी जातियों के विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना।

"राजभाषा सुभाषिनी" सम्पादक मण्डल

संरक्षक

श्री रजनीश कुमार जैनव

प्रबन्ध निदेशक

सम्पादक

श्री सुरेश कुमार शर्मा

महाप्रबंधक (कौ.वि.)

एवं प्रभारी राजभाषा

सह–सम्पादक

श्रीमती अनुपमा सूद,

महाप्रबंधक (परियोजना)

श्री मो. जावेद अहमद खॉ

स. प्रबंधक (रा.भा.)

यह पत्रिका मुफ्त वितरण हेतु है।

एन बी सी एफ डी सी
NBC FDC

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5 वाँ तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी इन्सटीटयूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली–110016

थावरचन्द गेहलोत
THAAWARCHAND GEHLOT
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

कार्यालयः 202, सी विंग, शास्त्री भवन.
नई दिल्ली–110115
Office: 202, 'C' Wing, Shastri Bhawan,
New Delhi-110115
Tel: 011-23381001, 23381390, Fax: 011-23381902,
E-mail: min-sje@nic.in
दूरभाषः 011-23361001, 23381390,
फैक्सः 011-23381902, ई–मेलः min-sje@nic.in

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम राजभाषा हिन्दी के प्रयोग में उत्तरोत्तर गति लाने के उद्देश्य से राजभाषा पत्रिका 'राजभाषा सुभाषिनी' प्रकाशन कर रहा है।

निगम का कार्यक्षेत्र अखिल भारतीय स्तर है तथा इसका लक्षित वर्ग देश के हर हिस्से में मौजूद है। मेरा यह मानना है कि लक्षित वर्ग तक पहुँच यदि किसी एक भाषा के माध्यम से संभव है तो वह हिन्दी ही है। हिन्दी भाषा को प्रत्येक राज्य के लोग अधिकतर बोलते और समझते हैं। अतः निगम की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहुँच लोगों तक बनाने में हिन्दी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

निगम द्वारा 'राजभाषा सुभाषिनी' का प्रत्येक वर्ष नियमित प्रकाशन एक सराहनीय कदम है। मुझे आशा है कि पत्रिका का प्रकाशन उपयोगी होगा एवं इससे कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिन्दी में और अधिक कार्य करने हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।

शुभकामनाओं सहित,

31.8.20

(थावरचन्द गेहलोत)

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

कृष्ण पाल गुर्जर
KRISHAN PAL GURJAR

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

संदेश

अत्यंत हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम अपने काम–काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनी वार्षिक हिन्दी गृह पत्रिका 'राजभाषा सुभाषिनी' का प्रकाशन करने जा रहा है।

निगम पिछड़े वर्गों के गरीब व्यक्तियों को स्व–रोजगार हेतु रियायती ऋण सहायता प्रदान करता है एवं उनके कार्य संबंधी कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। निगम का अधिकांश लक्षित वर्ग हिन्दी भाषा बोलता एवं समझता है। अतः निगम के काम–काज में हिन्दी भाषा का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि निगम अपने काम–काज में जितना अधिक हिन्दी भाषा का प्रयोग करेगा, लक्षित वर्ग तक उसकी पहुंच उतनी ही अधिक होगी। ऐसे में निगम द्वारा अपना काम–काज एवं योजनाओं का प्रचार–प्रसार हिन्दी में किए जाने पर बल दिया जाना आवश्यक है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं।

(कृष्ण पाल गुर्जर)

नई दिल्ली
दिनांकः 23.03.2021

Office: 301, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi - 110001,
Tel: 011-23072192, 23072193, Fax: 011-23072194

रामदास आठवले
RAMDAS ATHAWALE

सत्यमेव जयते

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी अपनी राजभाषा पत्रिका "राजभाषा सुभाषिनी" का प्रकाशन करने जा रहा है।

भारत के संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया है। भारत सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों इत्यादि में हिंदी में कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है जिसमें अन्य निर्देशों के साथ–साथ कार्यालय के लिए विभिन्न मदों में लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करना हम सभी का दायित्व है। निःसंदेह पत्रिका का प्रकाशन कार्यालयी कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में मददगार होगा।

पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं।

31.8.2020

(रामदास आठवले)

Office: 301, 'C' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi - 110001
Tel: 011-23381656, 23381657, Fax: 011-23381669

रतन लाल कटारिया
RATTAN LAL KATARIA

सत्यमेव जयते

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

D.O. No. 158/MOS(SJ&E-RLK)/VIP/2020

जल शक्ति
एवं
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
भारत सरकार

MINISTER OF STATE FOR JAL SHAKTI
AND
SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA

दिनांक : 31.08.2020

संदेश

मुझे यह जानकर अति प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने एवं उसके विकास में गति लाने के उद्देश्य से अपनी राजभाषा गृह पत्रिका "राजभाषा सुभाषिनी" का प्रकाशन करने जा रहा है।

हिन्दी के प्रयोग से निगम की योजनाओं के प्रचार–प्रसार में मदद मिलेगी तथा आपसी विचार–विमर्श से हमारी राष्ट्रीय एकता बलवती होगी। कार्यालय में हिन्दी भाषा के अधिक से अधिक प्रयोग किए जा रहे प्रयास की भी मैं सराहना करता हूँ।

"राजभाषा सुभाषिनी" के सफल प्रकाशन हेतु मेरी शुभकामनाएं।

(रतन लाल कटारिया)

Office: 251, 'A' Wing, Shastri Bhawan, Dr. Rajender Prasad Road, New Delhi - 110001, Tel: 011-23383757, 23383745,
Fax: 011-23314097 Residence: (4-A), Telegraph Lane, New Delhi-110001, Tel: 011-23329660

प्रबन्ध निदेशक की कलम से

– रजनीश कुमार जैनव

मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं राजभाषा पत्रिका के माध्यम से अपने विचार आपके सम्मुख रख रहा हूँ। सर्व प्रथम विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा कार्यों से जुड़े कार्मिकों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।

मैंने पाया कि कोरोना के प्रकोप के कुछ कम होने के साथ ही राजभाषा विभाग के कार्यकलापों में तेजी से वृद्धि हुई। जहाँ एक ओर नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) ने तेजी से सक्रिय होकर अपने कार्यकलापों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की, वहीं दूसरी ओर हमारी संसदीय राजभाषा समितियों ने भी अपने निरीक्षणों के माध्यम से अपनी निगरानी को तेज किया। इसी कड़ी में संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप–समिति द्वारा हमारे निगम का निरीक्षण दिनाँक 18 नवम्बर, 2020 को किया गया। मुझे आशा है हम सभी के समेकित प्रयासों से राजभाषा हिन्दी आगे बढ़ती रहेगी।

वर्ष 2020 की इस महामारी ने हम सभी के कार्यों को प्रभावित किया है। निगम भी उसके प्रभावों से अछूता नहीं रहा है। जैसा कि आप अवगत ही होंगे हमारे निगम का प्रमुख कार्य देश के पिछड़े वर्गों के निर्धनतम् व्यक्तियों को स्व–रोजगार स्थापना हेतु रियायती दरों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराना है; जिससे लाभार्थी और उसका परिवार स्वावलंबी बन सके। इसके साथ ही साथ निगम न सिर्फ पिछड़े वर्गों को अपितु भिखारियों, ट्रांसजेंडरों, गैर–अधिसूचित जनजातियों (डी.एन.टी.) के व्यक्तियों में कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सतत् कार्य कर रहा है। कोरोना के संक्रमण काल की चुनौतियों के बावजूद हमारी टीम ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अति सक्रियता से कार्य किया है। इस संक्रमण काल के दौरान हमने अपनी निगमित सामाजिक दायित्व योजना के अंतर्गत दिल्ली और आस–पास के स्लम क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों तक राशन किट, सैनेटाइजर और मास्क जैसी बुनियादी वस्तुओं को उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इस दौरान निगम ने गरीब लोगों को ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए गर्म कंबल भी वितरित किए हैं। निगम ने वर्ष 2020–21 में अब–तक 28.76 लाख से अधिक परिवारों को ऋण सहायता के माध्यम से तथा लगभग 1.60 लाख व्यक्तियों को कौशल विकास के माध्यम से अपनी पहुंच बनाई है।

निगम राजभाषा के नियमों, राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु दृढता से प्रयासरत् है। निगम ने कई क्षेत्रों में अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है और हिन्दी पत्राचार के 100% के लक्ष्य के समीप पहुंच रहा है। हमारा कार्यालय मानव संसाधन की कमी के साथ कार्य कर रहा है अतः मेरा प्रयास है कि निगम का राजभाषा प्रकोष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य को निष्पादित करे तथा सभी कार्मिक अपने पत्र और टिप्पणियाँ मौलिक रूप से हिन्दी में करें जिससे राजभाषा प्रकोष्ठ पर अनुवाद का भार कम से कम पड़े। हमारे निगम में प्रत्येक विभाग में एक–एक 'समन्वयकर्ता' को नामित किया गया है जो अपने विभाग की राजभाषा प्रगति की निगरानी करता है और मासिक प्रगति रिपोर्ट को उपलब्ध कराता है। हमने गत् वर्ष में हिन्दी भाषा प्रशिक्षण हेतु इन–हाउस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जिससे गैर–हिन्दी भाषी कार्मिकों के लिए हिन्दी भाषा में कार्यालयी कार्य निष्पादन आसान हुआ है। वर्तमान में हमारे निगम के 82.5% कार्मिकों को हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है तथा शेष कार्यसाधक की श्रेणी में आते हैं।

अन्त में यह कहना उचित होगा कि हमारे लिए हिन्दी मात्र संवैधानिक बाध्यता ही नहीं है अपितु निगम के लक्षित वर्ग की या तो प्रमुख भाषा हिन्दी है अथवा वह अपनी मात्र भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा को ही समझ सकता है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए हिन्दी भाषा वरदान है। हम हिन्दी भाषा के माध्यम से अपने निगम के कार्यकलापों के साथ–साथ बड़ी ही आसानी से अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति कर पा रहे हैं और इसी कारणवश भविष्य में भी हिन्दी के उपयोग से नहीं चूकेंगे।

जय हिन्द, जय हिन्दी!

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में कार्यनिष्पादन की झलक

क्र. सं.	विवरण	8वी योजना	9वी योजना	10वी योजना	11वी योजना	12वी योजना (2012 – 2017)	(2017–18) से 2020–21	सकल 31.03.2021 तक
1.	बजटीय सहायता (रू. करोड़)	198.90	191.65	69.95	212.00	451.65	375.40	1494.40
2.	वितरण (रू. करोड़)	197.93	443.63	581.90	842.30	1509.75	2062.97	5638.48
3.	सहायता प्राप्त लाभर्थी (संख्या)	109625	271905	448404	634336	836093	576217	2876580

गत् तीन वर्ष की उपलब्धियाँ

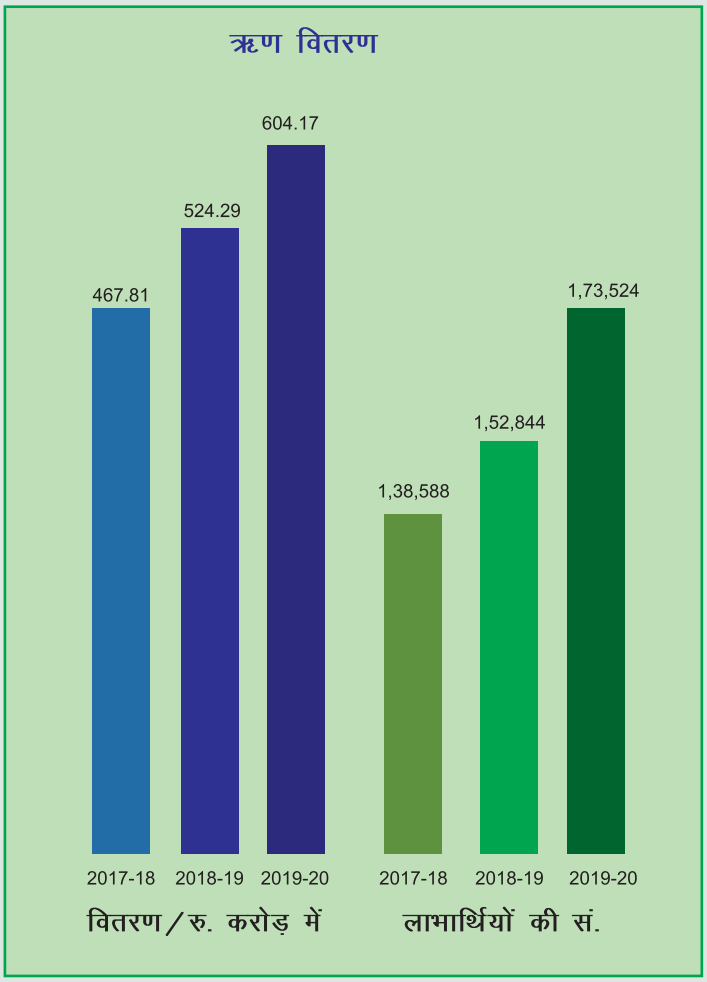

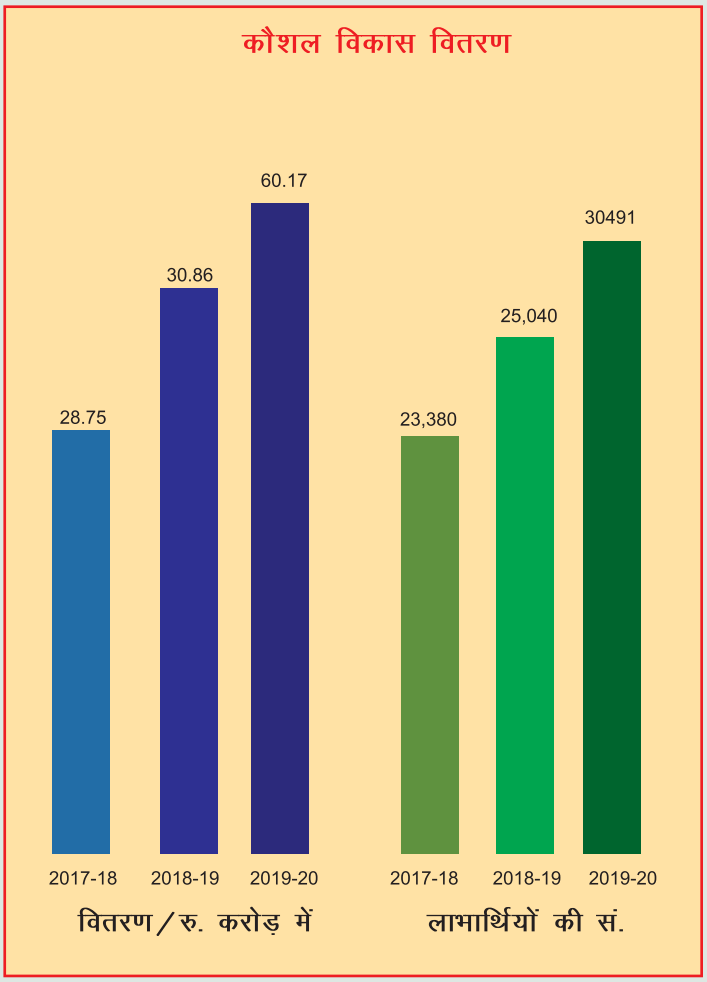

सम्पादकीय

– सुरेश कुमार शर्मा

निगम की गृह पत्रिका "राजभाषा सुभाषिनी" का वर्ष 2020 का अंक प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आशा है आपको यह अंक पसंद आएगा और हमें इस संबंध में आपकी प्रतिक्रियाओं एवं सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

जैसा कि आप अवगत हैं निगम अपने लक्षित वर्ग को स्वरोजगार स्थापना हेतु आसान एवं रियायती दरों पर ऋण सहायता उपलब्ध कराता है। यह ऋण सहायता पूरे देश में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही साथ निगम अपने लक्षित वर्ग को प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता सम्पन्न हितग्राही (PM-DAKSH) योजना के अंतर्गत निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। अतः पत्रिका के इस अंक को "सफलता की कहानियों" के विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है। इन सफलता की कहानियों को पढ़कर आप यह समझ सकेंगे कि निगम की योजनाओं का लाभ भारत के दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा है।

मुझे आशा है कि आपको यह अंक भी पसंद आएगा। आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

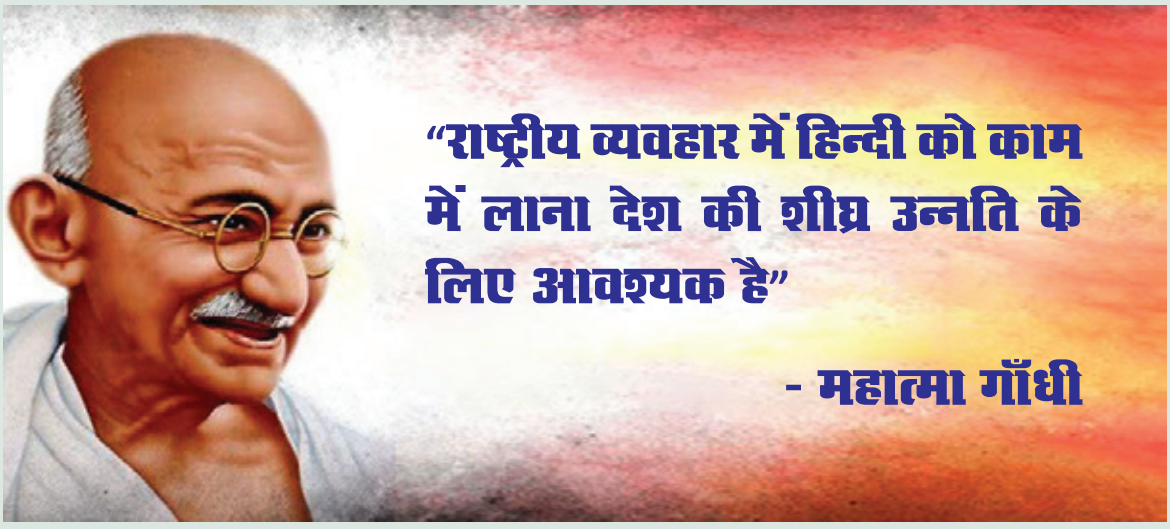

राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन में दस 'प्र' की भूमिका

– डॉ. सुमीत जैरथ

राजभाषा अर्थात राज–काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम–जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। **वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।** तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत–मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने–कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द–भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा–हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन–प्रति–दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए? इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति–विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग की रणनीति में 10 'प्र' के फ्रेमवर्क और रूपरेखा लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार से है:

प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं ।

प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय–समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय–समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है।

प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने–कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए सचिव(रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग डेढ़ महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग–अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय–समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए ई–प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान–केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत–स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it)' हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे–धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है की भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। वर्तमान में राजभाषा हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व–माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश–विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न–भिन्न भाषा–भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वतः ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार–प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह–पत्रिकाओं

का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा बनाए गए ई–पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी गृह–पत्रिकाओं का प्रसार होगा और हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई–पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ–साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय–समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच–बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन **दस 'प्र'** को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

सचिव
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

एन.बी.एफ.डी.सी. में राजभाषा हिन्दी के बढ़ते कदम

– सुरेश कुमार शर्मा
महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी

निगम ने बीते वर्षों में राजभाषा हिन्दी के कार्यों में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की है। निगम में आरम्भ् से ही राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है जिसका समय–समय पर पुनर्गठन किया जाता रहा है। समिति द्वारा निगम के राजभाषा संबंधी कार्यों की समीक्षा एवं विश्लेषण अपनी बैठकों के दौरान किया जाता है। समिति की नियमित रूप से तिमाही बैठकें आहूत की जाती हैं तथा लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

वर्तमान में निगम के सभी विभागाध्यक्षों एवं वित्त विभाग तथा कौशल विभाग के वरि. प्रबंधकों को भी समिति में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार से निगम की कार्यान्वयन समिति में सभी विभागों का प्रतिनिधित्व है। निगम के प्रबंध निदेशक समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।

निगम के प्रशासनिक मंत्रालय तथा क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नराकास को निगम की राजभाषा प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट/छमाही/वार्षिक रिपोर्टें एवं कार्यान्वयन समिति की बैठकों के कार्यवृत्त प्रेषित किए जाते हैं तथा संबद्ध मंत्रालय एवं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से लगातार प्रशंसा एवं सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। सुझावों पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

भाषा प्रशिक्षण में शेष कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से निगम ने कार्यालय में ही हिन्दी कक्षाओं का आयोजन कर कार्मिको को कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने मे सहायता की है। निगम के सभी आशुलिपिक पहले से ही हिन्दी में प्रशिक्षित हैं। निगम के आंतरिक कार्यो में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। पत्रावलियों पर अधिकांश टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जा रही हैं। निगम में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत भी 95% को पार कर चुका है।

निगम में धारा 3(3) का अनुपालन किया जा रहा है। निगम द्वारा जारी सामान्य आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र इत्यादि हिन्दी–अंग्रेजी में ही जारी किए जाते हैं। निगम में प्राप्त हिन्दी पत्रों का जवाब अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिया जाता है तथा इसकी मॉनीटरिंग के लिए आवश्यक चेक बिन्दु भी बनाए गए हैं। सभी तरह की मुद्रित सामग्री को हिन्दी–अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। कंप्यूटरों पर हिन्दी साफ्टवेयर 'अक्षर' अथवा 'सारांश' का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ कंप्यूटरों एवं लैपटॉप पर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए "गूगल इन–पुट टूल" का प्रयोग किया जा रहा है। यह साफ्टवेयर अंग्रेजी टाइपिंग के आधार पर हिन्दी में टाइप करने में अत्यंत उपयोगी साबित हो रहा है।

निगम में प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2020 में भी 'हिन्दी पखवाड़ा' एवं 'हिन्दी दिवस' का आयोजन किया गया तथा इस दौरान विभिन्न प्रोत्साहन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इन विजेताओं की सूची इस अंक में भी दी जा रही है। इसके साथ ही साथ वर्ष भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, दिवसों एवं सप्ताहों के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों को हिन्दी मे ही किया जाता है।

निगम के विभिन्न विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन के अनुपालन एवं उसकी मॉनीटरिंग करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक–एक समन्वयकर्ता को नामित किया गया है। प्रत्येक विभाग का समन्वयकर्ता प्रत्येक माह की समाप्ति के उपरांत राजभाषा प्रयोग की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर निगम के राजभाषा प्रकोष्ठ को भेजता है जिसका उपयोग तिमाही/वार्षिक बैठकों को तैयार करने में किया जाता है।

निगम के 80% से अधिक कार्मिकों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, अतः निगम को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

राजभाषा कार्यकलापों की झलक

संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप–समिति (18.11.2020) का निरीक्षण कार्यक्रम

निरीक्षण कार्यक्रम में समिति के माननीय सदस्य–गण एवं तत्कालीन प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी., श्री के. नारायण एवं अन्य निगमों के अधिकारी गण। यह निरीक्षण् कार्यक्रम नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) के समन्वयन से आयोजित किया गया।

निगम द्वारा नराकास के तत्वावधान में दिनाँक 15.03.2021 को "राजभाषा सम्मेलन" का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाग लेते हुए डॉ. सुमीत जैरथ, सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, श्री के. नारायण एवं अन्य निगमों के अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक।

नराकास की बैठक छायाचित्र। बैठक में डॉ. सुमीत जैरथ, सचिव, भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, श्री कामरान रिजवी, अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक, हडको एवं श्री अशोक कुमार, सदस्य सचिव, नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) द्वारा भाग लिया गया। इस बैठक में निगम के तत्कालीन प्रबन्ध् निदेशक, श्री के.नारायण द्वारा भाग लिया गया।

दिनाँक 15 मार्च, 2021 को आयोजित राजभाषा सम्मेलन में श्री अशोक कुमार, सदस्य सचिव, नराकास, दिल्ली (उपक्रम–2) का स्वागत करते हुए श्री मो. जावेद अहमद खाँ, स. प्रबंधक (रा.भा.), एन.बी.सी.एफ.डी.सी.।

राजभाषा कार्यकलापों की झलक

निगम को नराकास कार्यक्रमों के आयोजन में सक्रिय सहभागिता हेतु नराकास द्वारा पुरस्कृत किया गया। यह पुरस्कार हडको के अध्यक्ष–एवं–प्रबंध निदेशक द्वारा प्रदान किया गया। यह पुरस्कार श्री सुरेश कुमार शर्मा, महाप्रबंधक एवं राजभाषा प्रभारी एवं श्री मो. जावेद अहमद खाँ, स.प्रबन्धक (रा.भा.) द्वारा प्राप्त किया गया। इस अवसर पर राजभाषा विभाग के अधिकारी एवं नराकास के सदस्य कार्यालयों के अधिकारी उपस्थित हुए।

निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में भाग लेते हुए श्री के.नारायण, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य–गण।

हिन्दी पखवाड़ा, 2020 की एक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए निगम के कार्मिक।

निगम द्वारा आयोजित हिन्दी कार्यशाला में भाग लेते हुए निगम के कार्मिक।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की निगमित सामाजिक दायित्व योजना (सी.एस.आर.) के अंतर्गत किए गए कार्यों की झलक

श्री रजनीश कुमार जैनव, प्रबन्ध निदेशक, एन.बी.सी.एफ.डी.सी., द्वारा यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क मैट्रो स्टेशन के पास, नई दिल्ली में प्लास्टिक की बोतलों को नष्ट करने की मशीन को आम जनता को समर्पित किया गया। इस अवसर पर अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

निजामुद्दीन दरगाह, दिल्ली में निःशुल्क औषधि वितरण शिविर का छायाचित्र

हरिद्वार, उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क ऑखों की जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का छायाचित्र

कोविड के दौरान दिल्ली एवं आस–पास के क्षेत्रों में निःशुल्क राशन वितरण शिविर का छायाचित्र

वार्षिक ब्याज दर सहित योजनाओं का विवरण

(i)	सांवधि ऋण	(i) सामान्य ऋण योजना (ii) महिलाओं के लिए नई स्वर्णिम (iii) शिक्षा ऋण योजना					
(ii)	सूक्ष्म ऋण	(iv) सूक्ष्म ऋण योजना (मिश्रित स्व–सहायता समूहों के लिए) (v) महिला समृद्धि योजना (खासकर महिला स्व–सहायता समूहों के लिए) (iii) व्यक्तियों के लिए छोटे ऋण					
क्र. सं.	योजना का नाम	प्रति लाभार्थी अधिकतम ऋण सीमा	वित्तीय पद्धति #		वार्षिक ब्याज दर	पुनर्भुगतान अवधि (छः माह की माराटोरियम अवधि सहित)	
1.	सावधि ऋण		एन.बी.एफ.डी.सी.	एस.सी.ए./लाभार्थी	एस.सी.ए/बैंक	लाभार्थी	
(क)	सामान्य ऋण योजना	रु. 15.00 लाख	85%	15%	5 लाख तक		8 वर्ष
					3%	6%	
					रु. 5 लाख से अधिक रु. 10 लाख तक		
					4%	7%	
					रु. 10 लाख से अधिक रु. 15 लाख तक		
					5%	8%	
(ख)	शिक्षा ऋण i) भारत में	रु. 15.00 लाख	85%	15%	1%	4%*	अधिकतम 15 वर्ष (बैंक के मानकों के अनुसार)
	ii) विदेश में	रु. 20.00 लाख	85%	15%	1%	4%*	
(ग)	नई स्वर्णिम योजना	रु. 2.00 लाख	95%	5%	2%	5%	8 वर्ष
2.	सूक्ष्म ऋण						
(क)	सूक्ष्म ऋण योजना	रु. 1.25 लाख**	90%	10%	2%	5%	4 वर्ष
(ख)	महिला समृद्धि योजना महिलाओं के लिए	रु. 1.25 लाख**	85%	15%	3%	6%	4 वर्ष
(ग)	व्यक्तियों के लिए छोटे ऋण	रु. 1.25 लाख**	85%	15%	3%	6%	8 वर्ष
(घ)	एन.बी.एफ.सी.–एम.एफ.आई ऋण	रु. 1.25 लाख**	90%	10%	4%	12%	8 वर्ष

#बैंकों के मामले में, एन.बी.एफ.डी.सी. ऋण 100% तक उपलब्ध होगा, हालांकि, वितरण उनकी विशिष्ट मांग के अनुसार किया जाएगा। सावधि ऋण पर पुनर्भुगतान पर ब्याज में 0.5% की छूट।

*छात्राओं के लिए ब्याज दर 3.5%

*अधिकतम रु. 15.00 लाख प्रति समूह की दशा में

क. अग्रिम धनराशिः अग्रिम धनराशि का उपयोग 120 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए और उपयोग प्रमाण पत्र तदनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ख. पुनर्वित्तीयनः एन.बी.सी.एफ.डी.सी योजना में ऋण आहरण के 10 दिनों के भीतर लाभार्थी के आधर कार्ड से जुड़े ऋण खाते में पुनर्वित्तीयन धनराशि पहँच जानी चाहिए।

- ऋण वितरण के वर्ष को ध्यान में रखे बिना बैंक शिक्षा ऋण के अंतर्गत बकाया धनराशि का दावा कर सकती है।
- अन्य योजनाओं के लिए मात्र चालू वित्तीय वर्ष में वितरित किए गए ऋणों के पुनर्वित्तीयन का दावा किया जा सकता

स्लैब–वार ब्याजः –

उपभोग (दिनों की सं.)	ब्याज दर (वार्षिक)
1–120 दिन	3%
121–180 दिल	6%
180 दिनों के बाद	8%

चैनल सहभागियों को चाहिए कि वे अनुपभुक्त अग्रिम धनराशि को वापस कर दें। यदि अवमुक्ति के 180 दिनों के भीतर धनराशि का उपभोग न किया गया हो। 180 दिनों के बाद वापसी की तिथि तक 8% वार्षिक ब्याज प्रभार्य किया जाएगा।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
हिन्दी पखवाड़ा– 2020 प्रतियोगिता परिणाम

प्रतियोगिता का नाम	स्थान	विजेता का नाम
हिन्दी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता	**प्रथम**	**सुश्री रंजना**
	द्वितीय	श्री हरीश सती
	तृतीय	श्री वंशराज नाविक
	सांत्वना पुरस्कार	श्री सुखदेव सिंह गुलैया
हिन्दी टिप्पण लेखन प्रतियोगिता (हिन्दीतर भाषा–भाषी हेतु)	**प्रथम**	**श्री सुदर्शन**
	द्वितीय	श्रीमती सारम्मा थॉमस
	तृतीय	श्री हरि कृष्ण
	सांत्वना पुरस्कार	श्री मनोज कुमार
हिन्दी निबंध प्रतियोगिता	प्रथम	श्रीमती नीलम
	द्वितीय	श्री हिमांशु
	तृतीय	श्री छुटकन्न अली
	सांत्वना पुरस्कार	श्री आमिर अजीज
हिन्दी भाषा ज्ञान प्रतियोगिता	**प्रथम**	**श्री गगनदीप**
	द्वितीय	श्री दीपक वर्मा
	तृतीय	श्री राजेन्द्र कुमार
	प्रोत्साहन पुरस्कार	श्री गिरीश चंद श्री सुदर्शन श्री नरेश कुमार त्यागी
कंप्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग प्रतियोगिता	**प्रथम**	**श्रीमती इन्दू थापा**
	द्वितीय	श्री अशोक कुमार नागर
	तृतीय	श्री सुरेन्द्र साव
	सांत्वना पुरस्कार	श्री संजीव शर्मा
स्व–रचित हिन्दी कविता प्रतियोगिता	प्रथम	श्री संजीव शर्मा
	द्वितीय	श्री मुन्ना खालिद
	तृतीय	श्रीमती सीमा सिंह
	सांत्वना पुरस्कार	श्री हरीश सती
विशेष प्रोत्साहन योजनाएं	सर्वाधिक हिन्दी पत्र लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान/अधिकारी वर्ग)	श्री सुजॉय पी जॉन, मुख्य प्रबंधक (प्रशासन)
	सर्वाधिक हिन्दी टिप्पण लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान/अधिकारी वर्ग)	श्रीमती अनुपमा सूद महाप्रबंधक (परियोजना)
	सर्वाधिक हिन्दी टिप्पण लेखन प्रोत्साहन योजना (सितम्बर माह के दौरान/कर्मचारी वर्ग)	श्रीमती इन्दू थापा वरि. कार्यकारी (कौ.वि.)
	कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन योजना (1.10.19 से 30.09.20 तक/अधिकारी वर्ग)	श्री सुरेश कुमार शर्मा उप महाप्रबंधक (कौ.वि.)
	गत् वर्ष की राजभाषा सुभाषिनी में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख एवं कविता हेतु पुरस्कारः सर्वश्रेष्ठ लेखः सर्वश्रेष्ठ कविताः	 श्री नरेश कुमार लाल, प्रबंधक श्रीमती सीमा सिंह, प्रबंधक

केरल स्टेट विमेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन (KSWDC) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **लालिमोल बी.एस,** गाँव–गोवरीसम बार्टन हिल, वान्च्यूर, पोस्ट–त्रिवेंद्रम, केरल की रहने वाली हूँ और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैनें Desktop Publishing में तकनीकी पढ़ाई की है। मैं काफी समय से बेरोजगार थी और अपना छोटा सा बिजनेस (DTP सेंटर) करना चाहती थी। बेरोजगार होने की वजह से मुझे मासिक खर्च में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे एक दोस्त ने बताया कि राज्य निगम (KSWDC) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें KSWDC के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 3,80,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 11.11.2019 को लोन राशि दी गयी। लोन राशि मिलने के पश्चात् मैनें DTP सेंटर चालू किया तथा धीरे–धीरे मेरा बिजनेस चल निकला। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ तथा मेरी मासिक आय लगभग रू. 25,000/- हो गयी है। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और KSWDC की बहुत आभारी हूँ।

केरल स्टेट विमेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन (KSWDC) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **वीनू के.**, पुलिक्कापराम्बिल हाउस, पेरुम्बलम, पोस्ट–अलप्पुज्हा, केरल की रहने वाली हूँ और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैं KSWDC के क्षेत्रीय कार्यालय एर्नाकुलम के पास एक होटल चलाती हूँ और होटल में बहुत से साधनों के न होने की वजह से मेरी आय बहुत कम थी। मुझे होटल को पुनर्निर्मित कराना था जिसके लिए मुझे वित्तीय सहायता की जरूरत थी। मैनें राज्य निगम, KSWDC के कार्यालय में जाकर लोन के बारे में बात की तो पता चला KSWDC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें KSWDC के कार्यालय में एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 2,85,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और लोन राशि दी गयी। लोन राशि मिलने के पश्चात् मैनें होटल को पुनर्निर्मित करवाया और मेरा होटल बहुत अच्छा हो गया। मैनें होटल में अतिरिक्त नया फर्नीचर भी लगवाया। जिससे मेरे कारोबार में वृद्धि हुई और मेरा होटल अच्छा चलने लगा। वर्तमान समय में मेरी मासिक आय रू. 60,000/- हो गयी है। अब मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और KSWDC का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।

केरल स्टेट विमेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन (KSWDC) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, चित्रलेखा, गाँव–स्वर्ण मन्दिरम अजहीक्कल, पोस्ट–कोल्लम, केरल की रहने वाली हूँ और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैं काफी समय से बेरोजगार थी और अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहती थी। बेरोजगार होने की वजह से मुझे मासिक खर्च में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे एक दोस्त ने बताया कि राज्य निगम, KSWDC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें KSWDC के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 4,75,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 19.02.2020 को लोन राशि दी गयी। मुझे पशुपालन का अनुभव था इसलिए मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् पशु खरीदे और मेरे इस बिजनेस ने तरक्की की राह पकड़ ली। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ तथा मेरी मासिक आय लगभग रू. 25,000/- हो गयी है। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और KSWDC की बहुत आभारी हूँ।

केरल स्टेट विमेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन (KSWDC) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **रेणुका मोहन**, देवी प्रभा, थुवायूर नार्थ मनक्कला, पोस्ट–पठानामथित्ता, केरल की रहने वाली हूँ और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैं काफी समय से बेरोजगार थी और अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहती थी। बेरोजगार होने की वजह से मुझे मासिक खर्च में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम, KSWDC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें KSWDC के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 4,75,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 04.11.2019 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् एक प्रोविजनल स्टोर खोला और मेरा बिजनेस चल पड़ा। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ तथा मेरी मासिक आय लगभग रू. 25,000/- हो गयी है। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और KSWDC की बहुत आभारी हूँ।

केरल स्टेट विमेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन (KSWDC) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **सुमा एस., वडक्कुमारा पुतेन वीड,** उज्हमलक्कल, पोस्ट–त्रिवेंद्रम, केरल की रहने वाली हूँ और पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैं काफी समय से बेरोजगार थी और अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहती थी। बेरोजगार होने की वजह से मुझे मासिक खर्च में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम, KSWDC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें KSWDC के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 2,85,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 22.07.2019 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् टेलरिंग यूनिट खोला और मेरा बिजनेस चल पड़ा। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ तथा मेरी मासिक आय लगभग रू. 15,000/- हो गयी है। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और KSWDC की बहुत आभारी हूँ।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (HBCKN) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **राजेश कुमार पुत्र श्री मगंत राम,** कंगनपुर रोड, भगत सिंह नगर गली न०–3, सिरसा, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं कुम्हार जाति से ताल्लुक रखता हूँ जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। मेरी उम्र 38 वर्ष है और मैनें 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। मैं वेल्डिंग का काम जानता हूँ लेकिन इससे मेरे घर का मासिक खर्च भी नहीं निकल पा रहा था क्यूंकि वेल्डिंग के काम को बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी। मुझे एक मित्र से पता चला कि राज्य निगम (HBCKN) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें HBCKN के जिला कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे एक लाख रूपये का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 03.04.2017 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् अपना वेल्डिंग का काम बढ़ाया और मेरा काम चल पड़ा। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 90,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी वार्षिक आय रू. 1,30,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का बहुत आभारी हूँ।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (HBCKN) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्री कृष्ण पुत्र श्री धनी राम**, खेड़ी दमकल, तहसील–गोहाना, जिला–सोनीपत, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं कुम्हार जाति से ताल्लुक रखता हूँ जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। मैं बेरोजगार था तथा छोटा–मोटा जो भी काम मिल जाता था उसको कर लेता था परन्तु घर का खर्च निकालना भी मुश्किल था। घर की स्थिति भी खराब होती जा रही थी। मैं कोई छोटा–मोटा बिजनेस करना चाहता था परन्तु उसके लिए पैसों की जरुरत थी। मुझे अखबार से पता चला कि राज्य निगम (HBCKN) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें HBCKN के जिला कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे एक लाख रूपये का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 03.01.2019 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् अपनी किराना की दुकान शुरू की। धीरे–धीरे मेरा काम चल पड़ा और मेरा काम इतना अच्छा हो गया कि मुझे अपने छोटे भाई को भी दुकान पर रखना पड़ा। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 78,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी वार्षिक आय रू. 1,20,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का बहुत आभारी हूँ।

गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **देसाई जिग्नेशभाई हेमराजभाई पुत्र देसाई हेमराजभाई गोकलभाई,** खोरज, रबारीवास, तह० एवं जिला–गांधीनगर, गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मैनें अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी लेकिन घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मुझे M.B.A की पढ़ाई करनी थी जिसमें मेरी रुचि भी थी और मैं अपने घर की स्थिति को बेहतर कर सकूँ। मुझे अखबार से पता चला कि राज्य निगम (गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना शैक्षिक ऋण के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे एक लाख रूपये का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 15.02.2017 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई करते हुए ही मेरा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) में बिजनेस एसोसिएट के रूप में कैंपस प्लेसमेंट हो गया। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 80,000/- थी और लोन लेने पश्चात् तथा पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी वार्षिक आय रू. 2,52,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **रबारी गीताबेन जेठाभाई पत्नी रबारी जेठाभाई जीताभई**, लिम्बोदरा, रबारीवास, तह०–कलोल जिला–गांधीनगर, गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहती थी। मेरे पति की आमदनी से मासिक खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे दो लाख रूपये का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 14.07.2016 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् प्रोविजनल स्टोर शुरू किया और मेरा काम चलने लगा। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 36,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी वार्षिक आय रू. 1,85,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **रबारी कर्नाभाई प्रभातभाई पुत्र रबारी प्रभातभाई जेठाभाई**, गोकुलपुरा, तह० एवं जिला–गांधीनगर, गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मैंने B.E. इलेक्ट्रिकल में पढ़ाई की है। मैं काफी समय से बेरोजगार था और अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। बेरोजगार होने की वजह से मुझे मासिक खर्च में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे दो लाख रूपये का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 13.11.2017 को लोन राशि दी गयी। लोन राशि मिलने के पश्चात् मैनें गांधीनगर में जेरॉक्स एवं स्टेशनरी की दुकान शुरू की और मेरा काम अच्छी तरह चलने लगा। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 60,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी वार्षिक आय लगभग दोगुनी रू. 1,20,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **साहिल मेहरा**, जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मैं काफी समय से बेरोजगार था और अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। बेरोजगार होने की वजह से मुझे मासिक खर्च में बहुत परेशानी हो रही थी। मुझे एक दोस्त की मदद से पता चला कि राज्य निगम (हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे चार लाख रूपये का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 09.01.2017 को लोन राशि दी गयी। लोन राशि मिलने के पश्चात् मैनें एक दुकान किराये पर ली तथा रेडीमेड गारमेंट्स का काम शुरू किया जिससे मेरा काम अच्छी तरह चलने लगा। अब मैं सारा खर्च निकाल कर लगभग रू. 20,000/- मासिक बचा लेता हूँ। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **रवि कुमार**, गाँव–मंझियार, तहसील–शाहपुर, जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता हूँ। मैं एक प्राइवेट टैक्सी चालक था जिससे मुझे केवल रू. 5,000/- प्रति माह मिलते थे। मेरे परिवार का पूरा भार मुझ पर ही था इसलिए मासिक खर्च में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं अपनी खुद की टैक्सी चलाना चाहता था परन्तु उसके लिए पैसों की जरूरत थी। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 5,70,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 04.10.2016 को लोन राशि दी गयी। लोन राशि मिलने के पश्चात् मैनें Swift Dzire कार खरीदी और मेरा काम चल निकला। लोन लेने से पहले मेरी मासिक आय रू. 5,000/- थी और लोन लेने के बाद मेरी मासिक आय लगभग रू. 20,000/- से रू. 25,000/- हो गयी। अब मैं सारा खर्च निकाल कुछ मासिक बचत भी कर लेता हूँ। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **राहुल धीमान पुत्र श्री प्रदीप धीमान**, गाँव–फल्वारा, पोस्ट–करोया, तहसील–देहरा, जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मैनें अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी लेकिन घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मेरा MBBS के लिए सिलेक्शन हो गया था परन्तु घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वे मुझे MBBS की पढ़ाई करवा सकें। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 10,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और मैनें 2013 में MBBS में प्रवेश पा लिया। MBBS की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात् मैं कटगाँव जिला–किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में चिक्त्साधिकारी के रूप में कार्यरत हो गया। अब मेरी आय लगभग रू. 60,000/- प्रति मासिक है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **सौरव चौधरी पुत्र श्री देश राज**, गाँव–अब्दुल्लापुर, पोस्ट–जमानाबाद, तहसील एवं जिला–कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता हूँ। मैनें अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी लेकिन घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मेरा MIT हमीरपुर में B.Tech के लिए सिलेक्शन हो गया था परन्तु घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वे मुझे B.Tech की पढ़ाई करवा सकें स मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 2,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और मैनें 2013 में B.Tech में प्रवेश पा लिया। B-Tech की पढ़ाई पूरी होने के पश्चात् मैं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड लि. में जूनियर इंजिनियर के रूप में कार्यरत हो गया हूँ। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हिमाचल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **रिपन करमाकर पुत्र श्री हराधन करमाकर**, गाँव–नोआगाँव कृष्णानगर, पोस्ट–इन्द्रानगर, ब्लॉक–ए.एम.सी. क्षेत्र, अगरतला, त्रिपुरा वेस्ट का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता हूँ। मैनें अपनी स्नातक की पढ़ाई कॉमर्स में पूरी की थी। मैंने काफी समय तक सरकारी नौकरी तलाश की परन्तु असफल रहा। घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक न होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था लेकिन उससे घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल था। मैं कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। फिर मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे दिनांक 26.02.2020 को रू. 3,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और मैनें मछली पालन का बिजनेस शुरू किया और धीरे–धीरे मेरा बिजनेस चल निकला। लोन लेने से पूर्व मेरी मासिक आय रू. 3,000/- थी और लोन लेकर बिजनेस शुरू करने के बाद मेरी मासिक आय रू. 40,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्री अरूप दत्ता पुत्र श्री निल कांता दत्ता**, गाँव–भोग्जुर, पोस्ट–बमुटियार, वेस्ट त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता हूँ। मैनें अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् काफी समय तक नौकरी तलाश की परन्तु असफल रहा। घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक न होने के कारण घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे दिनांक 26.12.2016 को रू. 2,00,000 का लोन स्वीकृत हो गया और मैनें एक रूम किराये पर लेकर शू स्टोर शुरू किया तथा धीरे–धीरे मेरा बिजनेस चल निकला। बिजनेस शुरू करने के बाद मेरी मासिक आय रू. 10,000/- से रू. 12,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्री बादल दत्ता पुत्र श्री बशीराम दत्ता**, गाँव एवं पोस्ट–चरिपारा, वेस्ट त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता हूँ। मैनें अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात् काफी समय तक नौकरी तलाश की परन्तु असफल रहा। घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक न होने के कारण घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। मुझे एक दोस्त की मदद से पता चला कि राज्य निगम (त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे दिनांक 02.08.2018 को रू. 3,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और मैनें एक दुकान किराये पर लेकर किराना स्टोर शुरू किया तथा धीरे–धीरे मेरा बिजनेस चल निकला। बिजनेस शुरू करने के बाद मेरी मासिक आय रू. 12,000/- से रू. 15,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्री द्विजोत्तम देबनाथ पुत्र श्री कुमुद बंधू देबनाथ**, गाँव–कृष्णानगर, पोस्ट–अगरतला, वेस्ट त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता हूँ। मैनें अपनी पढ़ाई तकनीकी में पूरी की तथा मैंने काफी समय तक नौकरी तलाश की परन्तु असफल रहा। घर की स्थिति आर्थिक रूप से ठीक न होने के कारण घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं घर को वित्तीय सहायता देना चाहता था इसलिए कोई छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। मुझे एक दोस्त की मदद से पता चला कि राज्य निगम (त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे दिनांक 21.03.2016 को रू. 3,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया। मैनें एक मेडिकल स्टोर शुरू किया तथा धीरे–धीरे मेरा बिजनेस चल निकला। मेरा बिजनेस इतना अच्छा चलने लगा कि मुझे शॉप पर दो वर्कर्स रखने पड़े। बिजनेस शुरू करने के बाद मेरी मासिक आय रू. 30,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्री सुकांता देय पुत्र श्री सुरज्या मोहन देय**, गाँव–साउथ मुरापारा, पोस्ट– मुरापारा, उदयपुर, गोमती त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के अंतर्गत आता हूँ। मैं एक प्राइवेट चालक हूँ। मैं एक प्राइवेट वाहन चलाता था जिसके लिए मुझे रू. 4,000/- मासिक मिलता था। आज के समय में इतने रुपयों में घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल होता है। मैं अपना ऑटो खरीदना चाहता था परन्तु उसके लिए पैसों की जरूरत थी। मुझे जागरूकता शिविर की मदद से पता चला कि राज्य निगम (त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की टर्म लोन योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे दिनांक 06.02.2019 को रू. 3,50,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और मैनें अपना ऑटो खरीदा तथा धीरे–धीरे मेरा बिजनेस चल निकला और मासिक आय भी काफी हो गयी। लोन लेने से पूर्व मेरी मासिक आय रू. 4,000/- थी और लोन लेकर बिजनेस शुरू करने के बाद मेरी मासिक आय रू. 18,000/- से रू. 20,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और त्रिपुरा ओबीसी कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन (बैकफिंको) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मै **जगतार सिंह पुत्र मोह्न सिंह**, वासी गांव भदलथुआ, पोस्ट आफिस अमलोह तहसील एवंम जिला फतिहगड़ साहिब का रहने वाला हूँ। मै लुहार जाती से सम्बन्ध रखता हूँ, जो कि पंजाब सरकार द्वारा पिछड़ी जाती घोषित की गयी है । मै पहले किसी तरखान की दुकान पर काम करता था। इस के एवज में मुझे मालिक की तरफ से रू. 8,000/- मासिक मेहताना दिया जाता था। सारा दिन अथक परिश्रम करने के बाद भी मेरी इस कमाई से मेरे परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन था। मेरे गांव के कुछ लोगो ने मुझे बताया कि राज्य निगम पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन (बैकफिंको) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। इस उपरान्त मेरे दवारा बैकफिंको के फील्ड अफसर के साथ सम्पर्क किया गया। फील्ड अफसर ने मुझे ऋण लेने की विधि के बारे में विस्तार सहित बताया गया। मेरे दवारा ऋण लेने के लिए सारे जरुरी कागजात दिए गए। निगम द्वारा मुझे एनबीसीएफडीसी के सहयोग से दिनांक 04.02.2020 को रू. 85,500/- ऋण वितरित किया गया। इस राशि से मैंने ड्रिल मशीन, रंदा मशीन, लकड़ी आदि की खरीद करके अपने गांव भदलथुआमें कारपेंटरी के काम की शुरुआत की। मेरा कारपेंटरी का काम चल निकला है। अब मेरे को सारे खर्चे आदि निकाल कर रू. 17,000/- (सत्रह हजार रुपए) की बचत हो जाती है। इस प्रकार मैं अपने परिवार का पालन पोषण सही से कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैंड डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन (बैकफिंको) का बहुत आभारी हूँ।

जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **आसिफा मकबूल पुत्री मोहम्मद मकबूल शेर्गोजारी**, गाँव–जहूरा, जिला–पुलवामा, जम्मू एंड कश्मीर की रहने वाली हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैं एक बेरोजगार थी और मैं अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहती थी। मैं एक गरीब परिवार से थी। मेरे परिवार का मेरे अब्बू की आमदनी से मासिक खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 1,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 10.11.2017 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् दूध के प्रोडक्ट बनाकर बेचना शुरू किया और मेरा काम चलने लगा। मेरे परिवार की स्थिति सुधरने लगी और मैनें प्रोडक्ट बेचने और सहायता के लिए दो वर्कर्स को भी रख लिया। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। मेरे परिवार में सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. का बहुत आभारी है।

जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **मोहम्मद इम्तियाज कुमार पुत्र मोहम्मद अशरफ कुमार**, गाँव–अकिल्मिर, खान्यार, जिला–श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मैं बेरोजगार था और मैं अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता था। मैं एक गरीब परिवार से था और आय का साधन नहीं था। मैं मिटटी के बर्तन बनाने का काम जानता था परन्तु अपना काम शुरू करने के लिए पैसों की जरुरत थी। मेरे परिवार में मासिक खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा था। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 1,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 21.04.2014 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् अपना मिटटी के बर्तन बनाने का बिजनेस शुरू किया और मेरा काम चलने लगा। मेरे परिवार की स्थिति सुधरने लगी। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार में सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. का बहुत आभारी है।

जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्री बशीर अहमद हजाम पुत्र सोनौल्लाह हजाम**, गाँव–रंगील, जिला–गान्दरबल, जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मैं एक नाई की दुकान पर काम करता था। मैं एक गरीब परिवार से था और आय का साधन नहीं था। मुझे जो रुपया मिलता था उसमें परिवार का मासिक खर्च निकालना भी मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी नाई कि दुकान शुरू करना चाहता था। मुझे अखबार की मदद से पता चला कि राज्य निगम (जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 1,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 10.04.2017 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् अपनी नाई की दुकान शुरू की और मेरा काम चलने लगा। मेरे परिवार की स्थिति सुधरने लगी। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार में सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और जे. एंड के. एस.सी, एस.टी और बी.सी डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. का बहुत आभारी है।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (HBCKN) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्रीमती सुषमा रानी पत्नी श्री मुकेश कुमार**, गाँव–खेड़ी, पोस्ट–हरिपुर, तहसील–रायपुर रानी, जिला–पंचकुला, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मैं सैनी जाति से ताल्लुक रखती हूँ जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरे पति की आमदनी से घर का मासिक खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। मैं Cosmetic and Artificial Jewellery का काम करना चाहती थी लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत थी। मुझे एक सम्बन्धी से पता चला कि राज्य निगम (HBCKN) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें HBCKN के जिला कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 50,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 28.02.2019 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् Cosmetic and Artificial Jewellery की दुकान शुरू की और मेरा काम चल पड़ा। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 1,20,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी वार्षिक आय रू. 1,50,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम की बहुत आभारी हूँ।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम (HBCKN) के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **श्री अमित आर्य पुत्र श्री यशपाल आर्य**, गाँव–माजरी, जिला–पंचकुला, हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैं सुनार जाति से ताल्लुक रखता हूँ जो पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और मेरी आमदनी से घर का मासिक खर्च भी नहीं निकल पा रहा था। मैं अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहता था लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत थी। पंचकुला में एक जागरूकता शिविर की मदद से पता चला कि राज्य निगम (HBCKN) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें HBCKN के जिला कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 1,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया और दिनांक 05.12.2019 को लोन राशि दी गयी। मैनें लोन राशि मिलने के पश्चात् फोटोकॉपी/प्रिंटिंग की दुकान शुरू की और मेरा काम चल पड़ा। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 1,00,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी वार्षिक आय रू. 1,50,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। घर की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का बहुत आभारी हूँ।

गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **हर्षदभाई चेहाजी ठाकोर पुत्र चेहाजी ठाकोर**, अर्जुन बारी, पोस्ट–वाडनगर, जिला–महेसाना, गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मैं एक श्रमिक था और रोजाना मेहनताना के तौर पर काम करता था। मेरे घर का खर्च मेरी आय से नहीं चल पा रहा था। मुझे अखबार से पता चला कि राज्य निगम (गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 60,000/- का लोन स्वीकृत हो गया। लोन लेने के पश्चात् मैनें भैंस खरीदी और रोजाना अपने गाँव में दूध सप्लाई करने लगा। जिससे मेरा काम चलने लगा और मेरी आय में वृद्धि होने लगी। लोन लेने से पहले मेरी मासिक आय रू. 15,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी मासिक आय रू. 20,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम का बहुत आभारी है।

गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **कुमारी मुलादिया काजल, विन्छिया**, जिला–राजकोट, गुजरात की रहने वाली हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखती हूँ। मैनें पीटीसी कोर्स किया था और मैंने बहुत बार टीचिंग के लिए आवेदन किया परन्तु मैं असफल रही। मेरे घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। मैं ब्यूटी पारलर का काम जानती थी और टीचिंग के लिए असफल होने पर मैं अपना ब्यूटी पारलर शुरू करना चाहती थी लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत थी। मुझे एक दोस्त से पता चला कि राज्य निगम (गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 30,000/- का लोन स्वीकृत हो गया। लोन लेने के पश्चात् मैनें अपना ब्यूटी पारलर शुरू किया और मेरा काम चलने लगा और मेरी आय में वृद्धि होने लगी। लोन लेने से पहले मेरी वार्षिक आय रू. 20,000/- थी और लोन लेने पश्चात् मेरी वार्षिक आय रू. 50,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रही हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रही हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम का बहुत आभारी है।

गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **रोजासरा विशाल मोहनभाई पुत्र रोजासरा मोहनभाई**, सत्यजीत सोसाइटी, स्टेशन रोड, विन्छिया, जिला–राजकोट, गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं जिससे हमारे घर का खर्च चलता था। मेरा एडमिशन इंटरमीडिएट के बाद जी.जे पटेल आयुर्वेदिक कॉलेज, वल्लभविद्यानगर में BAMS में हो गया जो कि मेडिकल क्षेत्र में आयुर्वेद की स्नातक की डिग्री है। एक किसान होने के नाते पिताजी को BAMS की फीस भरना बहुत मुस्किल था। मुझे एक दोस्त से पता चला कि राज्य निगम (गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 5,00,000/- का लोन स्वीकृत हो गया। लोन लेने के पश्चात् मैनें अपनी फीस भरी और अपना कोर्स पूरा किया। कोर्स पूरा होने के बाद मैंने मोकासर में अपना क्लिनिक शुरू किया और धीरे–धीरे मेरा क्लिनिक चलने लगा, तो बाद में मैंने अपना हॉस्पिटल शुरू कर लिया जो श्री शारदा हॉस्पिटल के नाम से मोकासर, जिला–राजकोट में स्थापित है। लोन लेने से पहले मेरी पारिवारिक वार्षिक आय रू. 20,000/- थी और लोन लेने पश्चात् तथा पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी वार्षिक आय आय रू. 3,00,000/- हो गयी है। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और गुजरात ठाकोर एंड कोली विकास निगम का बहुत आभारी है।

डी देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कारपोरेशन के लाभार्थी की सफलता की कहानी

मैं, **वनेंद्र यादव पुत्र के.वी सिद्दप्पा,** गाँव–केंचौहना डोड्डी, पोस्ट–कोल्लेगल, जिला तालुक चमराजनगर, कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मैं पिछड़ी जाति के मध्यम वर्ग के परिवार ताल्लुक रखता हूँ। मेरा परिवार मेरी पढ़ाई का खर्च नहीं दे पा रहा था। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहता था परन्तु मेरा परिवार आर्थिक मदद करने में असमर्थ था। मुझे एक दोस्त से पता चला कि राज्य निगम (डी देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कारपोरेशन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं को संचालित कर रही है जिसकी योजनायें पिछड़े वर्गों के लिए हैं। तब मैनें डी देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कारपोरेशन के कार्यालय में संपर्क किया और एनबीसीएफडीसी की शैक्षिक ऋण योजना के अंतर्गत लोन का आवेदन किया। आवेदन करने के पश्चात् मुझे रू. 3,04,325/- का लोन स्वीकृत हो गया। लोन लेने के पश्चात् मैनें अपनी फीस भरी और अपना कोर्स पूरा किया। कोर्स पूरा होने के बाद मैं शारदा विलास कॉलेज, मैसूर में एक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मैं समय पर लोन की वापसी कर रहा हूँ। अब मैं बहुत खुशहाल जिन्दगी व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे परिवार की स्थिति भी अच्छी हो गयी है और सभी बहुत खुश हैं। मैं और मेरा परिवार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और डी देवराज उर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कारपोरेशन का बहुत आभारी है।

श्री राजेश कुमार यादव पुत्र श्री वरल राम यादव रामपुर, लिब्रा तमनार, रायगढ़, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। उनके पिता किसान हैं। किसानी में आकस्मिक नुकसान से उनके पिता की वित्तीय स्थिति दिन–ब–दिन खराब हो रही थी। श्री राजेश अपने पिता की सहायता करना चाहता था एवं अपने परिवार की वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहता था किन्तु वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। वह नौकरी की तलाश में था किन्तु उसे कोई उपयुक्त कार्य नहीं मिल सका क्योंकि उसके पास कोई भी कौशल नहीं था। अन्ततः उसे एक दिन ओ.पी.जिन्दल कम्युनिटी कॉलेज रायगढ़ की मोबलाइजर टीम के माध्यम से एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और उसने तुरन्त 2019–20 के कार्यक्रम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में प्रवेश प्राप्त किया।

तीन माह के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरान्त उसे हॉण्डा शो–रूम, रायगढ़ में नियोजन प्राप्त हुआ। इसके बाद, उसे जिन्दल फोरटीज हास्पिटल, तमनार, रायगढ़ में अपने घर के पास ही कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ तथा साथ ही साथ रू. 3000/- प्रतिमाह की वेतनवृद्धि भी प्राप्त हुई। वह बहुत प्रसन्न है एवं अपने परिवार की वित्तीय सहायता करने में सक्षम हो सका है। श्री राजेश बताते हैं कि उसके आत्मनिर्भर बनने से उसके परिवार के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। वह ओ.पी.जिन्दल कम्यूनिटी कॉलेज एवं एन.बी.सी.एफ.डी.सी. का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि सरकार की योजनाओं से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

सुश्री वारिया खुशबू मंसूखभाई को गुजरात समाचार–पत्र के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त हुई और वे ए.टी.डी.सी. के सूरत केन्द्र पर कौशल विकास से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने पहुंची। सुश्री वारिया एक गरीब परिवार से संबंधित हैं। उनके माता–पिता चाहते थे कि वे अपने बेटी को फैशन डिजाइन का कोर्स करवाएं, किन्तु वित्तीय स्थिति ठीक न होने से उनका परिवार पाठ्यक्रम हेतु फीस का भुगतान कर पाने में सक्षम नहीं था। अतः उसने ए.टी.डी.सी.–सूरत पहुंच कर पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी प्राप्त की और दिसम्बर, 2018 में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की कौशल विकास योजना के अंतर्गत वित्तपोषित कार्यक्रम में जो ए.टी.डी.सी. के माध्यम से संचालित किया जाना प्रस्तावित था, में "सैम्पलिंग को–आर्डीनेटर–जी.सी.टी." पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया। उसने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया और शाह ग्राफिक्स, गोपीपुरा, सूरत में उसे कार्य मिल गया। अब वह एक अच्छी खासी रकम प्रति माह अर्जित कर रही है।

सुश्री वारिया बताती हैं कि यह कौशल विकास प्रशिक्षण उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहा। उन्हें अपने ट्रेड से संबंधित जानकारियाँ प्रशिक्षणप्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गईं और प्रेक्टिकल कार्य में दक्षता प्रदान की गई। उनके परिवार में अब खुशियाँ हैं और उनका परिवार बहुत खुश है। वे और उनका परिवार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं ए.टी.डी.सी. का आभार व्यक्त करते हैं।

श्री योगेश बी. नगे, बोकुड जलगाँव, जिला औरंगाबाद के निवासी हैं। यह एक छोटा सा गाँव है जहाँ उनके पिता श्री बलक्रुशना नगे एक छोटे किसान हैं और उनकी माता एक गृहणी। उनके पिता को अपने पारिवारिक खर्चों को पूरा करने हेतु मजदूरी भी करना पड़ता था। श्री योगेश चाहता था कि वह किसी भी तरह से अपने पिता के कंधों से भार को कुछ कम करे जिसके लिए उसे अच्छी, स्थाई नौकरी या रोजगार की जरूरत थी।

CIPET, औरंगाबाद की मोबलाइजर टीम के माध्यम से पता चला कि एन.बी.सी.एफ.डी.सी., भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एक कौशल विकास प्रशिक्षण का आयोजन शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित है। योगेश ने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपना नाम CIPET की टीम को "मशीन आपरेटर सहायक–प्लास्टिक इक्सट्रूशन" ट्रेड में दर्ज करा दिया।

श्री योगेश का चयन अगस्त–नवम्बर, 2019 के बैच हेतु किया गया। यह प्रशिक्षण तीन माह की अवधि का था जिसे इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इनका चयन मेसर्स जयश्री पॉलीमर्स प्रा.लि. में "मशीन ऑपरेटर" के रूप में हुआ। उन्हें प्रतिमाह रू. 11000/- का पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है।

श्री योगेश का परिवार अब बहुत खुश है। श्री योगेश कहते हैं कि मेरे प्रशिक्षित होने से लेकर नौकरी प्राप्त करने तक CIPET और NBCFDC ने बड़ा सहयोग किया है। यदि NBCFDC निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध न कराता तो मेरे जैसे लोगों के लिए जीवन–यापन बड़ा मुश्किल था।

श्री महेश कुशवाहा ग्राम–दलावडा, तहसील– सीतामऊ, मंदसौर, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। यह एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर उनके पिता सहित लगभग सभी ग्रामीणवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं कृषि से संबंधित छुट–पुट मजदूरी करना है। महेश ने 12वीं पास की और इसके साथ ही साथ वह रोजगार की तलाश भी करने लगा। इसी बीच उसे CIPET, भोपाल द्वारा संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त हुई। उसने "मशीन ऑपरेटर सहायक–इंजेक्शन मोल्डिंग" ट्रेड में प्रवेश कराने हेतु अपना आवेदन कर दिया।

श्री महेश का चयन सितम्बर–अक्टूबर, 2019 के बैच हेतु किया गया। यह प्रशिक्षण तीन माह की अवधि का था जिसे इन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद इनका चयन मेसर्स जय श्री पॉलीमर्स प्रा.लि. पुणे में "मशीन ऑपरेटर" के रूप में हुआ। उन्हें वर्तमान में प्रतिमाह रू. 12000/- का पारिश्रमिक प्राप्त हो रहा है।

श्री महेश एवं उनका परिवार NBCFDC के इन कौशल विकास प्रशिक्षणों की भूरि–भूरि प्रसंशा करते हैं। उन्हें आशा है कि NBCFDC के इन प्रयासों से देश भर के तमाम ऐसे गरीब बच्चे लाभान्वित होंगे जिनके पास फीस इत्यादि भी जमा करने के पैसे नहीं होते हैं। अब महेश और उनका परिवार खुश है।

सुश्री परतिमा थापा ने NBCFDC की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में हिमकॉन के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बनने में सफल हुईं हैं।

सुश्री परतिमा थापा मेघालय के जिला पूर्वी खासी हिल्स की निवासी हैं। इनकी उम्र 24 वर्ष है तथा इन्होंने 12वीं तक पढ़ाई की है। वे बेरोजगार थी और उन्हें रोजगार के अवसर की तलाश थी। उन्हें हिमकॉन के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण की जानकारी दी गई और उसके फायदे बताए गए। परतिमा ने शिलांग में "सिलाई मशीन ऑपरेटर" हेतु आपना नाम दर्ज करवाया और उनका चयन नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना हेतु किया गया। उन्होंने सफलतापूर्वक 3 माह का प्रशिक्षण पूरा किया। प्रशिक्षण पूरा होने के तुरंत बाद उन्हें शिलांग में "टेलर–मास्टर" के रूप में कार्य मिला जहाँ उनकी मासिक आय रू. 8,000/- है। उनका कार्य अच्छा चल रहा है। उन्हें दिन प्रतिदिन नए–नए कौशल सीखने को मिल रहे हैं। वे और उनका परिवार NBCFDC एवं हिमकॉन का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

श्री नकुल डिब्बारमा ढलाई, त्रिपुरा के निवासी हैं। एक दिन उन्हें NBCFDC की योजनाओं की जानकारी रिगपा एजूसोल्यूशन प्रा. लि. से प्राप्त हुई। उन्हें पता चला कि NBCFDC गरीब व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। तब नकुल ने अपने पढ़ने एवं कौशल के उन्नयन का निर्णय लिया। आर.पी.एल.–लैटेक्स हारवेस्ट टेक्नीशियन (टैप्पर), प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने पर उन्हें इस ट्रेड में नया ज्ञान, तकनीकि एवं प्रक्रिया से संबंधित कौशल प्राप्त हुए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा संचालित किया गया।

अब नकुल अपनी फील्ड में एक कुशल व्यक्ति है तथा कमालपुर, ढलाई, त्रिपुरा में अपने रबर गार्डेन का संचान करते हैं तथा मासिक आय रू. 10,000/- से 15,000/- तक है। वे बताते हैं कि इस प्रशिक्षण से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। अब वे और उनका परिवार खुश हैं और आशा करते हैं कि इस प्रकार के अवसर आगे भी मिलते रहेंगे।

श्रीमती फुलबरी रभा एक गरीब परिवार से संबंधित हैं। वे बताती हैं कि उनके पति वाहन चालक हैं और अपने परिवार की आजीविका के लिए अत्यंत परिश्रम करना पड़ता है, उनकी आमदनी कम होने के कारण परिवार का खर्च पूरा होना मुश्किल रहता था। अतः फुलबरी रभा ने अपने परिवार के लिए कुछ करने का संकल्प लिया। एक दिन वेलुर फेबलेक्स प्रा. लि. से कुछ लोग उनके क्षेत्र में पम्फलेट बांट रहे थे और NBCFDC की योजनाओं की जानकारी प्रदान कर रहे थे। वे बताती हैं कि प्रशिक्षण संस्थान के मोबलाइजर द्वारा समझाने पर मैंने लैटेक्स हारवेस्ट टेक्नीशियन जॉब रोल में प्रवेश प्राप्त किया और सफलतापूर्व प्रशिक्षण को पूरा किया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत रबर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा संचालित किया गया।

श्रीमती रभा बताती हैं कि उन्हें रबर गार्डेन गोलपारा, असम में काम मिला और प्रत्येक माह रू. 8000/- मासिक वेतन प्राप्त होता है। वे निःशुल्क प्रशिक्षण व्यवस्था करने हेतु NBCFDC, प्रशिक्षण प्रदाता और भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हैं।

सुश्री मोनिका कुमारी सुभाष नगर, बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। उन्होंने एम.ए. की पढ़ाई की है। उनके पिता एक मजदूर हैं और माता गृहणी हैं। कोई रोजगार न होने के कारण मोनिका घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करती थी। वह किसी अच्छे अवसर की तलाश में थी। उनके घर के पास ही जी.एस.एम. इंटर कॉलेज में यूपिका द्वारा संचालित होने वाली सिलाई मशीन ऑपरेटर (एस.एम.ओ.) के बारे में पम्फलेट के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन की जानकारी मिली। उन्होंने सेंटर पर जाकर प्रवेश के लिए फार्म भरा और सिलाई मशीन ऑपरेटर के पाठ्यक्रम के लिए भावी प्रशिक्षुओं के साथ चयन परीक्षा में भाग लिया। उनका चयन उनके नजदीक के सेंटर में हो गया। उसने सेंटर पर सिलाई और वस्त्र बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसने सेंटर पर प्रशिक्षण के साथ साफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सिलाई और वस्त्र तैयार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने घर पर ही कुछ मशीन और कुछ लोगों की सहायता के द्वारा अन्य बच्चों को लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया जिससे उसे पर्याप्त रूप से आय होने लगी और वह अपने परिवार की सहायता आर्थिक रूप से कर पाने में समर्थ हो सकी।

मानिका कहती हैं कि उनके लिए कौशल विकास का यह अवसर खुशियाँ लेकर आया है। आर्थिक स्वावलंबन से उन्हें परिवार एवं समाज दोनों ही जगह सम्मान मिला है। वह और उनका परिवार एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं यूपिका की प्रसंशा करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं।

31 वर्षीय **नेहा राय** एक गृहणी थी एवं सीमित संसाधनों से अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं। उनके परिवार में पति ही एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति थे और वे भी श्रमिक के तौर पर कार्य करते थे। पति की सीमित एवं अनियमित आय के कारण उसके बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद उनके पास काफी समय होता था किन्तु कोई उचित कार्य न होने के कारण वह उस समय का सदुपयोग वह नहीं कर पा रही थी।

उसे पता चला कि भारत सरकार का एक निगम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम एम.पी.कॉन लि. के माध्यम से सिलाई का प्रशिक्षण आरंभ करने वाला है। यह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पिपरिया, जिला–होसंगाबाद में में आयोजित किया जाना था। नेहा ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए एम.पी.कॉन लि. के अधिकारियों से संपर्क किया और प्रशिक्षण के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया। सेलक्शन कमेटी द्वारा नेहा का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया। प्रशिक्षण के दौरान उसे स्टाइपेंड भी प्रदान किया गया।

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत नेहा ने अपनी बचत और स्टाइपेंड की धनराशि का उपयोग एक सिलाई मशीन एवं आवश्यक सामान खरीदने में किया गया। अब वह लेडीज कपड़ों की सिलाई करती हैं। धीरे–धीरे उनकी एक पहचान बनने लगी है और अब गाँव के अलावा आस–पास के लोग भी कपड़े सिलवाने के लिए उनके पास आते हैं। कोविड–19 महामारी के दौरान उसने मास्क बनाने का बड़ा काम किया है। अब नेहा घर में रहते हुए और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए चार–पांच सौ रूपए प्रति दिन कमा लेती है। वह बताती हैं कि उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह अपने परिवार की आर्थिक तौर पर इस प्रकार से मदद भी कर सकती है। उसके परिवार में अब खुशहाली है, बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। वह एन.बी.सी.एफ.डी.सी. और एम.पी.कॉन लि. का आभार व्यक्त करती है।

शिवानी यादव की उम्र 24 वर्ष है। वह ग्राम–खिल्लीखेड़ा, रायसेन, मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उसके पिता की मृत्यु काफी पहले हो चुकी है। उनके परिवार में माता जी के अतिरिक्त दो भाई हैं। उसका परिवार पर कर्ज भी चढ़ा हुआ था। उनका परिवार चाहता था कि वह परिवार के लिए कुछ करे किन्तु सामाजिक कारणों से उसका परिवार यह भी चाहता था कि वह गाँव से बाहर भी न जाए। शिवानी अपने परिवार की सहायता करना चाहती थी किन्तु उसे इसका रास्ता नहीं मिल रहा था।

एक दिन उनके गाँव के पंचायत सचिव ने उन्हें नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के कौशल विकास प्रशिक्षण के बारे में बताया, जो अब्दुल्लागंज, जिला–रायसेन में किया जाना था। उनकी सिलाई के कार्यों में पहले से रूचि थी अतः उसने स्व–नियोजित टेलर ट्रेड में प्रवेश हेतु अपने कागजात जमा किए और प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्राप्त किया। यह वह समय था जब उसे लगा कि उसके सपने सच होने वाले हैं। उसने बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ अपना तीन माह (अगस्त–अक्टूबर, 2019) का प्रशिक्षण पूरा किया।

प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत उसने एक छोटी सी सिलाई की दुकान अपने घर में ही खोली। उसकी यह दुकान जल्द ही एक बुटीक में बदल गई। उनका काम अच्छा चल रहा है। उसे सिलाई के लिए ढेर सारा काम मिलता है। उसने अपनी सहायता के लिए तीन टेलर्स को रखा है, जो सिलाई का काम करते हैं। शिवानी काम की निगरानी करती हैं और प्रबंधकीय भूमिका का निर्वहन करती है। वह अपने कार्य एवं आमदनी से अत्यंत प्रसन्न है। उन्हें इस बात की भी प्रसन्नता है कि वह दूसरों को भी काम देने में सक्षम बन सकी हैं। उनके जीवन में हुए नए बदलाव के लिए वह एन.बी.सी.एफ.डी.सी. एवं एम.पी.कॉन का आभार व्यक्त करती है।

राज्य चैनेलाइजिंग ऐजिंसियों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. चौथा तल, विशाल रेजीडेंसी, सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कॉलेज के साम पदमजा नगर, एन.टी.आर. रोड : टडीगडपा, विजयवाडा, अमरावंथी–521134

असम

2. असम एपेक्स वीवर्स एण्ड आर्टीसन्स कोऑपरेटिव फेडरेशन लि. गोपनीय रोड, अम्बरी गुवाहाटी – 751016.
3. असम प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर ओ.बी.सी.लि.डॉ बी के काकोटी रोड, गोपनीय नगर, गुवाहाटी–781051

बिहार

5. बिहार प्रदेश बैकवर्ड क्लासेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, चौथा तल, सोन भवन, बीर चन्द पटेल मार्ग पटना–

चण्डीगढ़

6. चण्डीगढ़ एस.सी./बी.सी.एण्ड फाइनेन्सियल एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अपर टाउन हॉल बिल्डिंग –17 सी, चण्डीगढ़ – 160017.

छतीसगढ़

7. छतीसगढ़ स्टेट अन्थावसाई सरकारी वित्त एवं विकास निगम, द्वितीयी एवं चतुर्थ तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, हाउसिंग बोर्ड बिल्डिंग, सेक्टर–27, न्यू रायपुर, छत्तीसगढ़–492001.

दिल्ली

8. दिल्ली, एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी. डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अम्बेडकर भवन, इंस्टीटयूशनल एरिया, सेक्टर–16, रोहिणी, दिल्ली.

गोवा

9. गोवा स्टेट शेडयूल्ड कास्ट एण्ड ओ.बी.सी. फाईनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. चौथा तल, पाट्टो सेन्टर के.टी.सी. बस स्टैण्ड के पास, पण्जी – 403 001.

गुजरात

10. गुजरात बैकवर्ड क्लासेज एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ब्लॉक नं. 11, दूसरा तल, डॉ जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर – 382 010.
11. गुजरात गोपालक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. ब्लॉक सं. 7, तृतीय फ्लोर, डॉ, जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर – 382 010.
12. गुजरात ठाकुर एवं कोली विकास निगर, ब्लॉक सं. 16, गुजरात।
13. गुजरात ठाकुर एवं कोली विकास निगर, ब्लॉक नं.–19/2 डॉ. जीवराज मेहता भवन, गाँधी नगर – 382 010.

हरियाणा

14. हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिकली वीकर सेक्शनस कल्याण निगम, एस. सी.ओ. सं. 613–14, सेक्टर 22ए, चण्डीगढ़ – 160 022.

हिमाचल प्रदेश

15. हिमाचल प्रदेश बैकवर्ड क्लोसेज फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पी. डब्ल्यू. डी.रेस्ट हाउस. रोड कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश – 176 001.

जम्मू एण्ड कश्मीर

16. जम्मू
    जम्मू एण्ड कश्मीर एसी. सी/एस.टी. एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लि. 715 – ए.लास्ट मोड़ गाँधी नगर, जम्मू – 180004

श्रीनगर

जम्मू एण्ड कश्मीर एसी सी/एस.टी. एण्ड अदर बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लि. एक्सचैंज रोड, रेड क्रास ऑफिस के पास, श्रीनगर 190001

17. जम्मू

जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हॉल नं. 6 – बी द्वितीय तल, एक्वाफ कॉम्पलेक्स गाँधी नगर जम्मू।

श्रीनगर

जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ए ब्लॉक प्रथम तल, पुराना सचिवालय श्रीनगर।

झारखण्ड

18. झारखण्ड एस.टी. कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बलिहार रोड, मोराबादी, रांची – 834 008.

कर्नाटक

19. डी देवराज अर्स बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, देवराज अस भवन, सं. 16, डी. चौथा तल, मिलर टैंक बुंद बेड एरिया, बसंथ नगर, बंगलौर–560 052, कर्नाटक
20. कर्नाटक विश्वकर्मा कम्यूनीटिज डैवलपमैंट कॉरपोरेशन, सं. 16–डी, पंचम तल, देवराज अर्स भवन, मिलर टैंक बेड एरिया, बसंतनगर, बैंग्लोर–560052. कर्नाटक।

केरल

21. केरल स्टेट आर्टीजन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. स्वागथ.टी.सी. 12/755, गवरमेन्ट लॉ कॉलेज रोड, वांच्यूर, पी.ओ. त्रिवेन्द्रम – 695 035.
22. हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ केरल, पो. बा. सं. 171, पुथेन चन्थाई, थिरूअनन्तपुरम – 695 001, केरल
23. केरल स्टेट बैकवर्ड क्लासेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. 'सेन्टीनेल' द्वितीय तल, टी.सी. 27/566 (7 एवं 8), पटटूर वांच्यूर पी.ओ.... थिरूअनन्तपुरम – 595 035.
24. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर फिशरीज डेवलपमेंट लि. कमलेश्वरम मानचूड पी. ओ. थिरूअनन्तपुरम – 595 009.
25. केरल स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फॉर क्रिश्चियन कन्वर्ट्स फ्राम शेड्यूल्स कास्ट्स एण्ड रिकमेंडिड कम्यूनिटीज (लि.). रेलवे स्टेशन के पास, नागमपादम, कोट्टयम।
26. केरल स्टेट पल्मीरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट एण्ड वर्कस वेल्फेयर कॉरपोरेशन लि. कैल्पकम हाउस, कुम्भुमविला, अरायूर, पी.ओ. कोट्टायम – 695122
27. केरल वीमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. टी.सी.20/2170, मनमोहन बंगलो के सामने, कोडियार, पी.ओ. त्रिवेन्द्रम – 695 003.

महाराष्ट्र

28. महाराष्ट्र राज्य इतरमानस वर्ग वित्त एकन विकास महामण्डल लि. एडीमिनस्टेटिव बिल्डिंग, चौथा तल, रामकृष्ण चेम्बरकर मार्ग, चैम्बूर (पू) मुम्बई – 400 071.
29. बसन्तराव नाइक विमुक्ति जातीय एण्ड नौमैडिक ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., जूहू सुप्रीम शॉपिंग सेन्टर प्रथम तल, गुलमोहर क्रास रोड नं. – 9 जे.बी.पी. डी. स्कीम, जुहू विले पारले स्कीम (पश्चिम), मुम्बई – 400 049.

उड़ीसा

30. उड़ीसा बी.सी. फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. क्वाटर सं. ए/6, यूनिट – 5, राजीव भवन के पास, भुवनेश्वर – 751 001.

पुदुचेरी

31. पुदुचेरी बैकवर्ड क्लासेज एण्ड मॉइनोरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. सं. – 1.8 क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, नेल्लीथोपे, पुदुचेरी – 605 005.

पंजाब

32. पंजाब बैकवर्ड क्लासेज लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कॉरपोरेशन, एस. सी.ओ. नं. 60–61 सेक्टर 17ए चण्डीगढ़ – 160 017.

राजस्थान

33. राजस्थान ओ.बी.सी. फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि., द्वितीय तल, नेहरु सरकार भवन, नियर 22 गोदाम पुलिया, जयपुर, राजस्थान – 302005

सिक्किम

34. सिक्किम अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग विकास निगम लि. सोनम टेशरिंग मार्ग (काजा रोड़), गंगटोक–737 101.

तमिलनाडू

35. तमिलनाडू बैकवर्ड क्लासेज एण्ड इकोनोमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 1/1 (1), प्योर रामनाथन सलाइ (ईस्ट), एग्गौर (नियर गंगरेकी सबवे), चेन्नई–600001, तमिलनाडू

त्रिपुरा

36. त्रिपुरा ओ.बी.सी. कोओपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लेक चौनुहानी, ट्राइबल रिसर्च भवन, त्रिपुरा (प.) अगरतला

उत्तर प्रदेश

37. उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि. पी.सी.एफ. भवन 32 स्टेशन रोड, लखनऊ – 226 601
38. उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि. 10 माल एवेन्यू लखनऊ

उत्तराखण्ड

39. उत्तराखण्ड बहुउद्धेशीय वित्त एवं विकास निगम, निदेशालय, ट्राइबल वेल्फेयर परिसर भगत सिंह कॉलोनी, अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड – 248001

पश्चिम बंगाल

40. पश्चिम बंगाल बैकवर्ड डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कॉरपोरेशन, ब्लॉक सी, एफ. 217/ए/1, सैक्टर – 1, साल्ट लेक सिटी कोलकाता – 700064, पश्चिम बंगाल।
41. पश्चिम बंगाल माइनॉइटीज डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्स कॉरपोरेशन, 'अम्बर', 27/ई, सेक्टर–1, डी. डी. ब्लॉक, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता – 700 064.

एन बी सी एफ डी सी
NBCFDC

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

(भारत सरकार का उपक्रम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)

5 वाँ तल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, 3 सीरी इन्सटीटयूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली